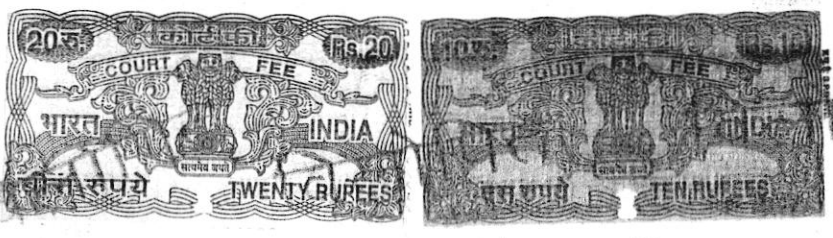

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 एक / विविध / छतरपुर / भू–रा0 / 2017 /

भक्तभूषण तनय श्री बृजबल्लभ कायस्थ
निवासी ग्राम बरद्वाहा,
तहसील व जिला छतरपुर, म0प्र0

——आवेदक

विरूद्व

म0प्र0 शासन ——अनावेदक

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–32, मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 – न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख (भू–प्रबंधन) , जिला छतरपुर म0प्र0 द्वारा प्र0क0 123 / अ 6 अ / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2006 के आदेशानुसार आवेदक का नाम कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज कराये जाने बावत्।

माननीय न्यायालय,

विविध आवेदन–पत्र

1– यह कि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम बरद्वाहा, तहसील व जिला छतरपुर स्थित भूमि पंजी कमांक–9 में पारित आदेश दिनांक 22.04.1978 के अनुसार खसरा नम्बर 19 के रकंवा 4.80 एकड़ लगानी 5.00 रूपया पर आवेदक का लगभग 37 वर्ष से खेती कर काबिज है।

2– यह कि आवेदक ने अधीक्षक भू–अभिलेख, (भू–प्रबंधन) शाखा छतरपुर के न्यायालय में नामांतरण पंजी कमांक–9 में पारित आदेश दिनांक 22.04.78 के

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/विविध/छतरपुर/भू.रा./2017/2943

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
13-10-17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर न्यायालय अधीक्षक भू -अभिलेख (भू-प्रबधंन) जिला छतरपुर म0 प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 123/अ-6/अ/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 06.01.06 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत यह विविध आवेदन प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विविध प्रकरण के साथ धारा-5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम बरद्वाहा तहसील व जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 19 रकवा 4.80 एकड़ लगानी 5.00 रू0 पर आवेदक का लगभग 35 वर्ष से खेती कर काबिज है। आवेदक ने अधीक्षक भू-अभिलेख के न्यायालय में नामांतरण पंजी कमांक 9 वर्ष 1978 में पारित आदेश दिनांक 22.04.78 के आदेशानुसार भूमि खसरा नम्बर 19 रकवा 4.80 एकड़ के पुनः भूमिस्वामी दर्ज किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त पंजी की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई थी। अधीक्षक भू-अभिलेख छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर इस्तहार जारी किया गया। तत्पश्चात् कोई आपत्ति नहीं आयी। पटवारी रिपोर्ट भी ली गई आवेदक के द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख के न्यायालय	

में आवेदक द्वारा साक्ष्य अंकित कराई गई तथा गवाह प्रस्तुत किये गये। नामांतरण पंजी कमांक 9 में पारित आदेश दिनांक 22.4.1978 को भूमि खसरा नम्बर 19 में से रकवा 4.80 एकड़ का पटट्ा आवेदक को प्राप्त हुआ था, तभी से आवेदक उक्त भूमि पर आज दिनांक तक कृषि कार्य करता चला आ रहा है लेकिन अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 06.01.2006 का पालन नहीं किया जा रहा है तथा आवेदक का नाम कम्प्यूटर खसरा में तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किये जाने से दुखित होकर यह विविध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीक्षक भू–अभिलेख जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण की संपूर्ण जांच कर उक्त भूमि का नामांतरण पंजी कमांक 9 के आदेशानुसार पटवारी को राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 06.01.06 द्वारा दिये गये, लेकिन आज दिनांक तक आवेदक का नाम कम्प्यूटर खसरा एवं राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक द्वारा समस्त साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आवेदक के नाम खसरे में उक्त भूमि इन्द्राज करने के आदेश दिये परंतु अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर का आदेश का पालन नहीं किया गया है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम कम्प्यूटर खसरा एवं राजस्व अभिलेख में अंकित करने का अंनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों

में उल्लेख किया गया है। शासन् के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि इतने वर्ष पश्चात राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने का आवेदन दियॅा गया है उसकी पूर्ण जानकारी धारा–5 में देना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 में जानकारी दी गई है वह समाधानकारक होने से ग्राह्य किया जाता है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 123/अ–6/अ/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 06.01.06 द्वारा लेख किया गया है कि आवेदंक उपस्थित होकर नामांतरण पंजी कमांक–9 वर्ष 1978 में पारित आदेश दिनांक 22.4.1978 के अनुसार भूमि खसरा कमांक 19 रकवा 4.80 एकड़ को पुनः भूमिस्वामी स्वत्व किये जाने का आवेदन दिया। प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर इश्तहार जारी किया गया कोई आपत्ति नहीं आई । आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य अंकित कराई तथा गवाह के कथन अंकित कराये। नामांतरण पंजी कमांक–9 वर्ष 1978 में पारित आदेश दिनांक 22.4.1978 के अनुसार भूमि खसरा कमांक 19 रकवा 4.80 एकड़ का सुधार करने का आदेश पारित किया गया है, तथा इसी तारतम्य में अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबधन) जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 123/अ–6/6/04–05 दिनांक 06.01.06 द्वारा राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम की पृविष्टि का आदेश पारित किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू–अभिलेख के आदेश का पालन राजस्व

निरीक्षक/पटवारी द्वारा नहीं किया गया। उपरोक्त आदेश के पालन के संबंध में यदि किसी स्तर पर कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 06.01.06 के पालन में नामांतरण पंजी कमांक–9 वर्ष 1978 में पारित आदेश दिनांक 22.04.1978 के अनुसार पालन करें। प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य